

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर  
क्रमांक :- ई-18/एम/8258-यू/एफ.04258/2024/175 दिनांक : 15/02/2024

**आदेश**

संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के पत्रांक एफ.35(28) चिस्वा/ग्रुप-3/2017 दिनांक 16.11.2017 के अनुसरण में सुश्री प्रियंका सोनी, कनिष्ठ सहायक, खाध्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण, श्रीगंगानगर, को उनकी स्वयं की प्रार्थना के आधार पर दिनांक 19.02.2024 से 23.02.2024 तक 05 दिवस विदेश यात्रा थाईलैण्ड जाने की अनुमति निम्न शर्तों के आधार पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

1. कार्मिका विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वांछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
2. विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
3. अवकाश समाप्ति के पश्चात अपनी ड्यूटी पर अविलम्ब उपस्थित होगी।
4. विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगी।
5. विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
6. राष्ट्र विरोधी गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे।

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/8258-यू/एफ.04258/2024/175  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक : 15/02/2024

1. निजी सहायक, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वा.(ग्रुप-3) विभाग, राज. जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।
4. सहायक औषधि नियंत्रक, श्रीगंगानगर।
5. सुश्री प्रियंका सोनी, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref  
5647975

Document certified by SURESH  
NAWAL <add4ng@gmail.com>

Digitally Signed by Suresh  
Kumar Nawal  
Designation: Director  
Date :14-02-2024 06:11:23